

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 376/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.09.2026

प्रेस-विज्ञप्ति, जनपद- आजमगढ़, दिनांक- 29.09.2026

- कूटरचित दस्तावेज एवं तथ्यों को छिपाकर दो-दो पासपोर्ट बनवाने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
- मेंहनगर एवं कन्धरापुर पुलिस की कार्रवाई में पासपोर्ट संबंधी धोखाधड़ी के दोनों अभियुक्त गिरफ्तार; एक अभियुक्त पर 02 अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने का आरोप।
- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पासपोर्ट अधिनियम एवं कूटरचना/धोखाधड़ी से सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत; आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहनगर एवं थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा पासपोर्ट बनवाने में कूटरचित दस्तावेजों के प्रयोग एवं तथ्यों को छिपाने से सम्बन्धित अभियोगों में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहनगर- पासपोर्ट संबंधी जांच में पाया गया कि अभियुक्त मोहम्मद आसिफ पुत्र अफजाल अहमद उर्फ मोहम्मद अफजल, निवासी वार्ड नं० 10 हरिवंश नगर, कस्बा मेंहनगर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा पूर्व में जारी पासपोर्ट के तथ्यों को छिपाते हुए जन्मतिथि, पिता का नाम एवं पता में भिन्न विवरण दर्शाकर पुनः पासपोर्ट बनवाया गया। प्रकरण में थाना मेंहनगर पर मु०अ०सं० 335/2026 धारा 318(4), 336(3), 340(2) बीएनएस एवं धारा 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम 1967 पंजीकृत है। अभियुक्त को दिनांक 29.09.2026 को लखराव पोखरा के पास से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी टीम में उ०नि० अक्षय प्रताप सिंह एवं का० वीरेन्द्र यादव शामिल रहे।

थाना कन्धरापुर- अभियुक्त खुन्नू पुत्र पुरसोत्तम, निवासी ग्राम व पोस्ट गौरी नरायनपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष द्वारा पूर्व में जारी पासपोर्ट में अंकित जन्मतिथि से भिन्न जन्मतिथि दर्शाकर पुनः फ्रेश कैटेगरी में पासपोर्ट बनवाने हेतु कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग किया गया। प्रकरण में थाना कन्धरापुर पर मु०अ०सं० 235/2026 धारा 419/420/467/468/471 भादवि एवं धारा 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम 1967 पंजीकृत है। अभियुक्त को दिनांक 29.09.2026 को मोतीगंज बाजार से करीब 150 मीटर आगे नरायनपुर जाने वाले मार्ग से समय करीब 10.28 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी टीम में उ०नि० लाल सिंह, का० अफजल अन्सारी, का० अमित जायसवाल एवं का० विजय यादव शामिल रहे।

□ नई किरण परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की पहल से वैवाहिक विवाद के 01 प्रकरण में समझौता, 03

पत्रावलियों में दोनों पक्षों की हुई काउंसलिंग।

□ थाना सरायमीर पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

□ साइबर फ्रॉड के पीड़ित को साइबर टीम की प्रभावी पैरवी से ₹6,500 की धनराशि वापस कराई गई।

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में महिला सुरक्षा, पारिवारिक विवादों के समाधान एवं साइबर अपराध से पीड़ितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्यवाही।

नई किरण परिवार परामर्श प्रकोष्ठ-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 29.09.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल 03 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से बुलाकर काउंसलिंग एवं मिडिएशन कराया गया। सभी 03 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए, जिनमें अथक प्रयास के बाद 01 प्रकरण में दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराया गया। समझौता किये गये प्रकरण में दहेज में मोटरसाइकिल की मांग, जेवरात लेकर मारपीट एवं घर से निकालने संबंधी विवाद था।

इस दौरान उ०नि० महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ०नि० सत्यनारायण यादव, का० जितेन्द्र कुमार साह, का० सुनील कुमार गुप्ता एवं म०का० नेहा सिंह उपस्थित रहे। नई किरण परियोजना के माध्यम से पारिवारिक विवादों के समाधान एवं बिखरे परिवारों को पुनः जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 20.03.2026 को थाना सरायमीर पर दर्ज मु०अ०सं० 78/2026 धारा 137(2)/87/352/351(3)/64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तुषार कपूर पुत्र द्वारिका, निवासी ग्राम छित्तेपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को दिनांक 29.09.2026 को पुलिस टीम द्वारा कुरियावां मोड़ के पास से समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में किशोरी की पूर्व में बरामदगी की जा चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

साइबर फ्रॉड की ₹6,500 धनराशि वापस कराई गई-

दिनांक 03.08.2026 को थाना निजामाबाद क्षेत्र निवासी आवेदिका के बैंक खाते से ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से ₹28,100 का साइबर फ्रॉड हुआ था। आवेदिका द्वारा तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से कुल ₹18,079 की धनराशि होल्ड कराई गई, जिसके क्रम में थाना निजामाबाद की साइबर टीम द्वारा MRM पोर्टल के माध्यम से ₹6,500 की धनराशि पीड़िता के खाते में वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर पीड़िता द्वारा आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर टीम- उ०नि० दिलीप आनन्द, का० राकेश यादव, का० संदेश सिंह एवं म०आ० रेनू देवी।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 29.09.2026, थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़

□ निर्माणाधीन मकान से बिजली वायरिंग का तार चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

□ सिधारी पुलिस ने चोरी की घटना का किया अनावरण, कब्जे से 4.860 किलोग्राम जला हुआ कॉपर वायर बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2026 को वादी राजेन्द्र प्रसाद पुत्र पुदई राम, निवासी ग्राम बसदुआ, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर द्वारा थाना सिधारी पर तहरीर दी गई कि ग्राम गेलवारा स्थित उनके निर्माणाधीन मकान में दिनांक 11.09.2026 से बिजली वायरिंग का कार्य कराया जा रहा था। दिनांक 28.09.2026 को निर्माणाधीन मकान पर पहुंचने पर बिजली वायरिंग का तार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी किया जाना पाया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 398/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी-

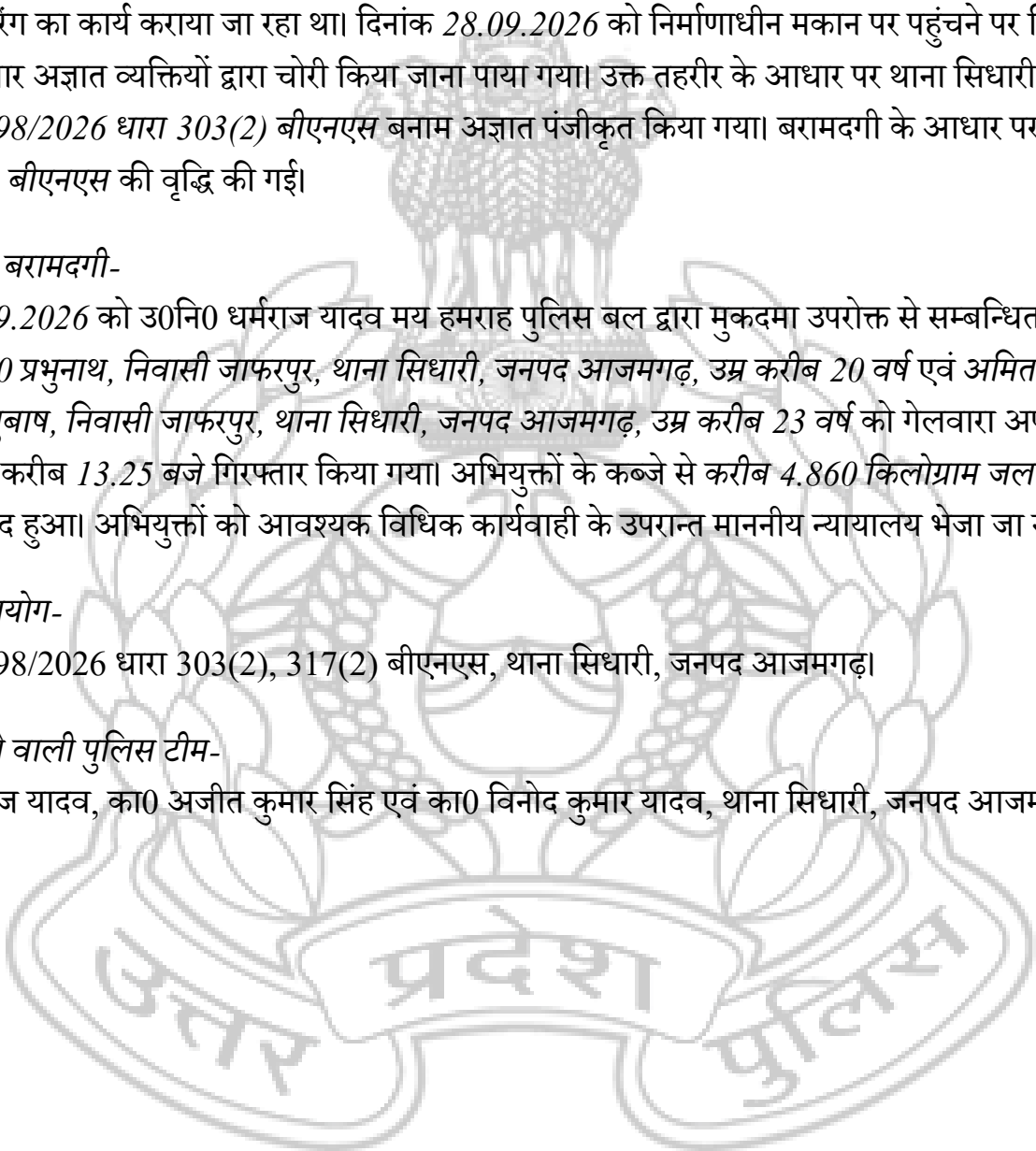
दिनांक 29.09.2026 को उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रोशन पुत्र स्व0 प्रभुनाथ, निवासी जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष एवं अमित कुमार उर्फ डिम्पल पुत्र सुबाष, निवासी जाफरपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष को गेलवारा अण्डरपास के पास से समय करीब 13.25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से करीब 4.860 किलोग्राम जला हुआ कॉपर का तार बरामद हुआ। अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 398/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 धर्मराज यादव, का0 अजीत कुमार सिंह एवं का0 विनोद कुमार यादव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।



थाना- मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

□ फर्जी अभिलेखों के आधार पर मदरसे की मान्यता प्राप्त करने के प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

□ मदरसा जामिया नूरुल उलूम की मान्यता से संबंधित मुकदमे में मुबारकपुर पुलिस की कार्रवाई; गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कूटरचना, धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र की धाराओं में अभियोग पंजीकृत।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.08.2026 को वादी आमिर हुसैन पुत्र स्व० अजहर हुसैन, कनिष्ठ/पोर्टल सहायक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आजमगढ़ द्वारा मदरसा जामिया नूरुल उलूम, मुबारकपुर की मान्यता से संबंधित प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की जांच में मदरसे की स्थायी मान्यता हेतु वर्ष 1998 में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों में भूमि संबंधी दानपत्र कूटरचित/फर्जी पाया गया। उक्त कूटरचित अभिलेख के आधार पर मदरसे द्वारा आलिया स्तर की स्थायी मान्यता प्राप्त किये जाने तथा बाद में मदरसे को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया।

प्रकरण में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता निलम्बित किये जाने के साथ संबंधित प्रबन्ध समिति एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त अभिलेखों एवं जांच के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु०अ०सं० 348/2026 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 319(2) बीएनएस को हटाते हुए धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 29.09.2026 को व०उ०नि० प्रदीप मिश्र मय पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना पर देवकली तारन मोड़ के पास घेराबंदी कर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहम्मद हामिद पुत्र स्व० इस्तेयाक अहमद, निवासी मुहल्ला बरईपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र करीब 54 वर्ष एवं मोहम्मद आबिद पुत्र स्व० इस्तेयाक अहमद, निवासी मुहल्ला बरईपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ, उम्र करीब 47 वर्ष को समय करीब 14.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास-

दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास मु०अ०सं० 348/2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

व०उ०नि० प्रदीप मिश्र मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।